नकल- न्यायालय उपजिलाधिकारी इटावा
वाद सं.- 14/2011-12 धारा 143 ZA & LR Act
मौजा- कस्बा इटावा प० इटावा जिला इटावा
संचेतना समिति आदि बनाम सरकार
नकल आदेश दि० 03-04-2012

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर इटावा

वाद संख्या 14/2011-12
धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम

मौजा–कस्बा इटावा जिला इटावा

संचेतना समिति आदि बनाम सरकार

निर्णय

संचेतना समिति/हरिदर्शन नगर मैनपुरी द्वारा कोषाध्यक्ष जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र हरगोविन्द सिंह निवासी बहादुरपुर परगना जसवन्तनगर जिला इटावा द्वारा दिनांक 27.03.2012 को एक प्रार्थनापत्र दिया गया। प्रार्थनापत्र मे यह अंकित किया गया कि ग्राम कस्बा इटावा परगना व जिला इटावा मे स्थित खाता संख्या 08 की गाटा संख्या 58 क रकबा 1.618 है0 व लगान 40.00, गाटा संख्या 58 मि रकबा 0.599 है0 लगान 14.80 रू0 की संचेतना समिति हरिदर्शन नगर मैनपुरी रजिस्टर्ड लेखपत्र दिनांक 26.1.2011 से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होकर काबिज स्वामी है तथा उपरोक्त गाटा मे जब से समिति काबिज हुई है तब से कृषि कार्य समाप्त बन्द कर दिया है तथा वर्तमान में बिल्डिंग बन रही है। तथा कुछ भू भाग मे बन चुकी है। इसलिए उपरोक्त भूमि कृषि कार्य आदि के प्रयोजन से पृथक हो चुकी है तथा उपरोक्त भूमि के आसपास भी आबादी कायम हो गई है। कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। प्रार्थनापत्र के अन्त मे गाटा संख्या 58 क रकबा 1.618 है0 व 58 स /2 रकबा 0.5999है0 स्थित ग्राम कस्बा इटावा परगना व जिला इटावा आबादी भूमि घोषित किए जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार इटावा से जाँच कराई गई। तहसीलदार इटावा की जाँच आख्या दिनांक 30.3.2012 मे यह अंकित किया गया है कि गाटा संख्या 58 क रकबा 1.618 है0 व 58स/2 रकबा 0.599 है0 श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि संचेतना समिति हरदर्शन मैनपुरी द्वारा कोषाध्यक्ष जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र हरगोविन्द सिंह के नाम दर्ज है। उक्तभूमि पर कृषि बागवानी, मत्स्य पालन कुक्कुट पालन आदि कार्य नही होता है। उक्त भूमि पर बोरिंग कुआ नही है तथा समिति द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जाँच रिपोर्ट के अन्त मे 58 क रकबा 1.618 है0 व 58 स /2 रकबा 0.599है0 मा0गु0 54.80 को आबादी घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

श्री राकेश कुमार, लेखपाल क्षेत्र सुन्दरपुर तहसील इटावा का ब्यान न्यायालय मे अभिलिखित किया गया। ब्यान मे यह कहा गया है कि कस्बा इटावा की भूमि संख्या 58 क रकबा 1.618है0 व 58 स/2 रकबा 0.599 की जाँच मेरे द्वारा मौके पर जाकर की गई थी। मौके पर उक्त भूमि पर खेती नहीं हो रही है। उक्त भूमि पर संचेतना समिति के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। उक्त गाटा संख्या की भूमि आबादी घोषित करने गौवसभा अथवा सरकारी भूमि प्रभावित नही होती है। जाँच रिपोर्ट दिनांक 28.03.12 मेरे द्वारा लिखी गई है। जिसे तहसीलदार द्वारा 30.3.2012 को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

मैने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व को सुना। विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो के अवलोकन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि पत्रावली पर उपलब्ध तहसील रिपोर्ट दिनांक 30.03.2012 युक्ति युक्त है। उक्त तहसील रिपोर्ट के आधार पर गाटा संख्या 58 क रकबा 1.618 है0 व 58 स /2 रकबा 0.599है0 मा0गु0 54.80 को अकृषक होने के कारण आबादी घोषित किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार इटावा की आख्या दिनाक 30.03.2012

———2

की पुष्टि की जाती है। मौजा कस्बा इटावा खतौनी खाता संख्या 06 की गाटा संख्या 58 क रकबा 1.618 है0 व 58 त /2 रकबा 0.599है0 मा0गु0 54.80 को भू-राजस्व से अवमुक्त करते हुए अकृषक, आबादी घोषित किया जाता है। तहसील रिपोर्ट इस आदेश की अंग रहेगी। इस आदेश की प्रति तहसीलदार इटावा व उपनिबन्धक इटावा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली आवश्यवा कार्यवाही के उपरान्त संचित अभिलेखागार की जावे।

(शैलेन्द्र कुमार भाटिया)
उप जिलाधिकारी सदर इटावा।

आज दिनांक 03.04.2012 को उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

(शैलेन्द्र कुमार भाटिया)
उप जिलाधिकारी सदर इटावा।

प्रार्थना पत्र का दिनांक 6087/12-11-13
प्रार्थी का नाम केवल कृष्ण
स्टाम्प शुल्क 7-
शब्दों की संख्या 470
प्रतिलिपि तैयार ... दिनांक 18-11-13
प्रतिलिपि ... का दिनांक
प्रतिलिपि दिए जाने का दिनांक
प्रतिलिपि जारी करने वाले के हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखपाल
कलक्ट्रेट-इटावा

1153
7/4/12
1154
7/4/12